


सार्वजनिक नीलामी सूचना

क्षेत्रीय मुख्यालय (तेजपुर), भा0ति0सी0पु0, रंगामाटी कैम्प, पत्रा0- बिहागुडी, तेजपुर, जिला- सोनितपुर (असम) द्वारा निष्प्रयोजित सरकारी भण्डार (जैसे कि- सामियाना, टेन्ट एक्सटेंडेबल 04 मेन कम्पलीट एवं विविध आईटम, फॉगिंग मशीन केण्ट आर.ओ. प्यूरिफायर इत्यादि) की सार्वजनिक नीलामी क्षेत्रीय मुख्यालय (तेजपुर), भा0ति0सी0पु0, रंगामाटी कैम्प, पत्रा0- बिहागुडी, तेजपुर, जिला- सोनितपुर (असम) में दिनांक-25.11.2022 को 1000 बजे आयोजित की जायेगी।

नीलामी हेतु शर्तः-

- 1 सभी इच्छुक पार्टियां/बोलीदाता निर्धारित तिथि एवं समय पर सार्वजनिक नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- 2 प्रत्येक पार्टी/बोलीदाता को नीलामी शुरू होने से पहले रू0 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र) की राशि धरोहर के तौर पर जमा करानी होगी, जोकि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जायेगी।
- 3 किसी भी व्यक्ति/पार्टियों को बिना धरोहर राशि जमा किये बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्य नियम एवं शर्तों के बारे में बोली शुरू होने से पहले बोलीदाताओं को मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा।
- 4 नीलामी किया जाने वाला भण्डार जहाँ है, जैसा है की स्थिति में ही नीलाम किया जायेगा।
- 5 नीलाम किये गये स्टोर को उठाने से पहले यानी नीलामी समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर पूरा भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर उसे नष्ट कर दिया जायेगा।
- 6 सफल बोलीदाता को असम सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री कर को जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसका काउन्टर प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय (तेजपुर), भा0ति0सी0पु0, रंगामाटी कैम्प, पत्रा0- बिहागुडी, तेजपुर, जिला- सोनितपुर (असम) के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- 7 सफल बोलीदाता अपनी स्वयं की व्यवस्था पर नीलाम किए गए स्टोर को हटाने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 8 बोलीदाताओं को नीलामी के दौरान अतिरिक्त व्यक्ति लाने की अनुमति नहीं होगी और नीलामी के दौरान उन्हें कैम्प परिसर के नियमों एवम् विनियमों का पालन करना होगा। बोलीदाताओं की सुरक्षा जाँच मुख्य द्वार पर संतरी द्वारा की जायेगी। बोलीदाता को सुरक्षा कारणों से बोली स्थल के अलावा अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 9 उप महानिरीक्षक, क्षेत्रीय मुख्यालय (तेजपुर), भा0ति0सी0पु0 के पास बिना कोई कारण बताए पूर्ण या आंशिक बोली/नीलामी को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 10 उपरोक्त नीलामी संबंधी सभी विवादों पर अंतिम निर्णय उप महानिरीक्षक, क्षेत्रीय मुख्यालय (तेजपुर), भा0ति0सी0पु0, रंगामाटी कैम्प, पत्रा0- बिहागुडी, तेजपुर, जिला- सोनितपुर (असम) द्वारा लिया जायेगा।


10/11/22
उप महानिरीक्षक


क्षे0मु0(तेजपुर), भा0ति0सी0पुलिस बल

PUBLIC AUCTION NOTICE

A public Auction will be held at Sector Head Quarter (Tezpur), I.T.B.P. Rangamati Camp, P.O- Bihaguri, Tezpur, Distt- Sonitpur (Assam) for the disposal of Condemned Govt Stores (i.e. tent extendable 04 men complete, shamiyana, misc items etc) on 25-11-2022 at 1000 Hrs at Sector Head Quarter (Tezpur), I.T.B.P. Rangamati Camp, P.O- Bihaguri, Tezpur, Distt- Sonitpur (Assam).

TERMS AND CONDITIONS:-

- 1 All interested parties / bidder can participate in public auction on stipulated date and time.
- 2 Each party / bidder will have to deposit Rs.5000/- (Rupees five thousand only) as earnest money before starting of bid. The same will be returned to the unsuccessful bidders immediately after the auction is over.
- 3 No person/parties will be permitted to participate in bid without depositing the earnest money. Other terms and conditions will be intimated to the bidders before starting of bid.
- 4 The condemned store will be auctioned as are present at location.
- 5 Full payment has to be made before lifting the auctioned store i.e. within 24 hours after the auction is over, failing which same shall be destroyed.
- 6 Successful bidder will have to deposit the sales tax as fixed by the Assam Govt. Counterfoil of which is mandatory to be submitted to Sector Head Quarter (Tezpur), I.T.B.P. Rangamati Camp, P.O- Bihaguri, Tezpur, Distt- Sonitpur (Assam).
- 7 The successful bidder will be responsible to remove the auctioned stores at his own arrangement.
- 8 Bidders shall not be allowed to bring extra men and have to abide by the rules and regulations of campus during the auction. Checking of bidders will be done by the sentry (I.T.B.P guard) at main gate. Bidders are not allowed to move to other than the bid site for security reasons.
- 9 The Dy. Inspector General, Sector Head Quarter (Tezpur), I.T.B.P. reserves the right to accept / cancel full or part Bidding / auction without assigning any reason.
- 10 Decision of Dy. Inspector General, Sector Head Quarter (Tezpur), I.T.B.P. will be final in all respect to any dispute regarding this public auction.


10/11/22
DY. INSPECTOR GENERAL
SHQ (TEZPUR), ITB POLICE